दिनांक 19.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 436/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद, गोरखपुर तथा कानपुर नगर इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 19.08.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद, गोरखपुर तथा कानपुर नगर इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई द्वारा महीपाल सिंह निवासी ग्राम पतेईनासिर थाना रजपुरा जनपद सम्भल से कृषि भूमि की पैमाईश व ठियाबन्दी कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कृष्ण अवतार के नेतृत्व में भकरौली चौराहा, बबराला की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे से **राजस्व लेखपाल अमन कुमार (तहसील गुन्नौर सम्भल)** पुत्र विपिन कुमार निवासी गोलागंज थाना बहजोई जनपद सम्भल को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर इकाई द्वारा दिव्यांशु पाण्डेय निवासी गौतम विहार कॉलोनी, तारामण्डल थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर से उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक शिवमोहन यादव के नेतृत्व में कार्यालय, संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर से **ज्येषठ लेखा परीक्षक डॉ0 शाहनवाज आलम (संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर)** पुत्र स्व0 गुलाम महीद्दीन अंसारी निवासी बेलवा खुर्द थाना चौराजास जनपद कुशीनगर, हालपता यासीन नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3- भ्रष्टाचार निवारण संगठन कानपुर नगर इकाई द्वारा मंशाराम निवासी ग्राम गुगौरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ से विद्युत कनेक्शन का एस्टीमेट बनाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक राम आसरे त्रिपाठी के नेतृत्व में विद्युत उपकेन्द्र माकूतगंज फर्रूखाबाद से **1-JE अजीत राजपूत (विद्युत उपकेन्द्र माकूतगंज फर्रूखाबाद)** पुत्र स्व0 महावीर निवासी ओमैक्स थाना गोमतीनगर लखनऊ, **2-SSO चन्द्रभान** पुत्र वेदराम निवासी पंचपुरा थाना अलीगंज जनपद एटा को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 19.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 437/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **37 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 19.08.2026 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नैड़ी कठारी से गड़बड़ा धाम रोड़ पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गुफरान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 37 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुफरान निवासी घुर्माबाद जनपद रोहताश बिहार।

बरामदगी

1–37 हजार 500 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद इटावा/थाना सैफई

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 97 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 19.08.2026 को थाना सैफई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उसरई पुलिया से अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 97 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सैफई पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर अपहरण, चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सैफई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनोज कुमार निवासी ग्राम हैवरा थाना सैफई जनपद इटावा।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 97 हजार 500 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सिकरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/352 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विरेन्द्र प्रताप 2–पवन 3–दीपक 4–सोनू 5–प्रिन्स को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना मो0पुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मो0पुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामू 2–गोविन्द 3–अनूप को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अरूण कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना सुजौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना सुजौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त पवन को सश्रम आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना रकाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/342 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इख्तियार उर्फ मुखत्जार उर्फ मुख्तियार उर्फ मोनू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————

दिनांक 19.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 438/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत जनपद औरैया के "चर्चित दोहरे हत्याकाण्ड" के 10 हत्याभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को कुल50 -/000, रुपये केअर्थदण्ड से दण्डित कराया गया-"

- **"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत औरैया के चर्चित दोहरे हत्याकाण्ड में बड़ी सफलता—पूर्व सपा MLC कमलेश पाठक समेत 10 हत्याभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा।**
- **गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों के प्रभावी संकलन एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय औरैया द्वारा 10 अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

उ0प्र0 शासन के निर्देशो के क्रम में प्रदेश में चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के अंतर्गत चिन्हित जघन्य अपराधों में मा० न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाए जाने हेतु निरंतर और उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है।

जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 19.08.2026 को जनपद औरैया पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय औरैया द्वारा 10 हत्याभियुक्तगण को आजीवनसश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को कुल 50-/000, रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी आशीष कुमार पुत्र श्री अरविन्द कुमार निवासी मो0 नारायणपुर द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के मोहल्ले में स्थित पंचमुखी मंदिर पर विपक्षी द्वारा कब्जा को लेकर विवाद हो गया था जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के भाई मंजुल चौबे (एडवोकेट) और बहिन सुधा की गोली मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली औरैया पर दिनांक 15.03.2020 को मु0अ0सं0 189/2020 धारा 147/148/149/302/307/506 भादवि व 7 आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 1932 बनाम 1.कमलेश पाठक (पूर्व सपा MLC) 2.रामू पाठक 3.संतोष पाठक पुत्रगण रामअवतार पाठक 4. कुलदीप अवस्थी 5. विकल्प अवस्थी पुत्रगण जगदीश प्रसाद 6. राजेश शुक्ला भगवताचार्य 7.अवनीश प्रताप सिंह 8. छोटू 9.तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारियों के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यावाही की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना कोतवाली औरैया पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 विनय कुमार, मॉनीटरिंग टीम व अभियोजन अधिकारी श्री चन्द्रभूषण तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय

औरैया के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.08.2026 को मु0अ0सं0 189/2020 धारा 147/148/149/302/307/506 भादवि व आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 1932 के तहत 10 हत्याभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को कुल 83,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया-”

सजायाफ्ता अपराधी-

1.कमलेश पाठक (पूर्व सपा MLC) पुत्र रामअवतार पाठक निवासी भडारीपुर थाना को0 औरैया हाल पता मो0 बनारसी दास थाना को0 औरैया जनपद औरैया।

2.रामू पाठक पुत्र रामअवतार पाठक निवासी भडारीपुर थाना को0 औरैया हाल पता मो0 बनारसी दास थाना को0 औरैया जनपद औरैया।

3.संतोष पाठक पुत्रगण रामअवतार पाठक पुत्र रामअवतार पाठक निवासी भडारीपुर थाना को0 औरैया हाल पता मो0 बनारसी दास थाना को0 औरैया जनपद औरैया।

4. कुलदीप अवस्थी उर्फ पप्पू पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मो0 विधीचन्द्र थाना कोतवाली औरैया

5. विकल्प अवस्थी उर्फ चैनू अवस्थी पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मो0 विधीचन्द्र थाना को0 औरैया

6. राजेश शुक्ला भगवताचार्य पुत्र रामकेश शुक्ला निवासी मो0 ब्रहमनगर थाना कोतवाली औरैया

7.अवनीश प्रताप सिंह पुत्र अजब सिंह निवासी गुमानपुर थाना रिजौर जनपद एटा

8. आशीष दुबे पुत्र विजय कुमार दुबे निवासी होमगंज थाना कोतवाली औरैया

9.शिवम अवस्थी पुत्र उमेश अवस्थी निवासी मो0 विधीचन्द्र थाना कोतवाली औरैया

10.रविन्द्र उर्फ लला चौबे पुत्र सूबेदार निवासी भडारीपुर थाना को0 औरैया हाल पता मो0 बनारसी दास थाना को0 औरैया जनपद औरैया।

<u>नोट-</u> अभियुक्त कमलेश पाठक (पूर्व सपा MLC) के विरुद्ध पूर्व में 41 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त कमलेश पाठक (पूर्व सपा MLC) को आज दिनांक 19.08.2026 को कुल तीन अभियोगों 1-मु0अ0सं0 189/20 धारा 147/148/149/302/307/506 भादवि व 7 आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 1932 में 83 हजार, 2-मु0अ0सं0 196/20 धारा 147/148/353/149 में 13 हजार व 3-मु0अ0सं0 190/20 25/27 आयुध अधिनियम में 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।